33

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः— श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 279—तीन/2015 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 07—01—2015 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 992/अपील/2012—13

.....

मातादीन यादव तनय स्वर्गीय ईश्वरदीन यादव
निवासी— ग्राम देवगवां थाना चितरंगी,
जिला सिंगरौली म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती चौरी यादव पुत्री रामानन्द यादव
एवं पत्नी रामनाथ यादव
निवासी—ग्राम बेलहवा थाना चितरंगी, तहसील
चितरंगी जिला सिंगरौली, म0प्र0

.....अनावेदक

.....

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 12/01/2017 को पारित)

यह निगरानी मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत न्यायालय अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 07—01—2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य अपर आयुक्त के आदेश में लिखे होने से दोहराने की आवश्कता नहीं है।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया विचारण तहसीलदार चितरंगी के न्यायालय के प्रकरण कमांक 10/अ–6/2006–07 में जो मौखिक तथा लैखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि उससे यह तथ्य भलीभांति प्रमाणित है कि रामानंद तनय अमृतलाल यादव को कोई संतान नहीं थी। रामानंद तनय अमृतलाल यदव ने अपने जीवनकाल में दिनांक 03–2–1986 को अपनी चल अचल संपत्ति के संबंध में आवेदक मातादीन के पक्ष में ऐ वसीयतनामा लिखवाया था जिसपर रामानंद यादव ने गवाहान के समक्ष अपना निशानी अंगूठा लगाया था तथा गवाहान ने भी वसीयतनामे पर हस्ताक्षर किये थे। रामानंद यादव की मृत्यु दिनांक 08–9–06 को हो गयी थी इसके पश्चात आवेदक को प्रश्नाधीनी भूमि के स्वत्व प्राप्त हो गये थे। विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 27–1–2007 के द्वारा वादग्रस्त आराजियात का नामांतरण आवेदक के पक्ष में हो गया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदिका ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो आदेश दिनांक 26–4–2013 के द्वारा खारिज की गई। परन्तु अपर आयुक्त ने विचारण न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के विधिसंगत आदेश को निरस्त अनावेदिका के पक्ष में नामांतरण करने में त्रुटि की है। यह भी तक किया कि कथित परिवर्तन पंजी कमांक 54 की प्रतिलिपि से यह तथ्य साबित नहीं होता कि अनावेदिका के पिता का नाम रामानन्द था। उक्त परिवर्तन पंजी की नकल साक्ष्य से ग्राह्य नहीं थी। सहायक बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा निर्णीत राजस्व प्रकरण कमांक 38/अ–6/1996–97 में पारित आदेश दिनांक 08–6–1996 के आधार पर अनावेदिका को मृतक रामानन्द यादव की पुत्री होना तथा रामानन्द यादव की मृत्यु पहने होने का गलत कथन किया है तथा उसके समर्थन में कोई साक्ष्य भी नहीं दिया है। सहायक बंदोबस्त अधिकारी द्वारा पारित आदेाश से यह तथ्य साबित होता है कि रामानन्द यादव ने दिनांक 03–2–86 को वादग्रस्त आराजियात बावत मातादीन तनय ईश्वरदीन आवेदक के पक्ष में वसीयतनामा का विलेख निष्पादित कराया था। अनावेदिका चौरी उक्त राजस्व प्रकरण में पक्षकार थी फिर भी अनावेदिका चौरी द्वारा सहायक बंदोबस्त अधिकारी के आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में

कोई अपील नहीं किया था ऐसी स्थिति में सहायक बन्दोबस्त के द्वारा पारित आदेश के संबंध में अनावेदिका को आक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने केवल अनोदिका के तर्क के आधार पर मानकर विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय का आदेश निरस्त करने में कानूनी भूल की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाये।

4/ अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क में बताया कि बंदोबस्त की कार्यवाही के दौरान वादोक्त भूमियों के संबंध में मृतक खातेदार रामानन्द के बजाय अनावेदिका का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने संबंधी कार्यवाही जो सहायक बन्दोबस्त अधिकारी के परिवतर्नन सूची कं. 15 व 16 ग्राम देवगांव का अनुविभागीय अधिकारी के अपील प्रकरण में संलग्न है किन्तु उत्तरवादी द्वारा तत्समय मौखिक आपत्ति जिसका भी उल्लेख उक्त पंजी पर है जिसमें तत्समय किसी भी वसीयत होने का उल्लेख नहीं है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत कूटरचित वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण करा लिया जिसे अपर आयुक्त द्वारा त्रुटिपूर्ण मानते हुये निरस्त करने में उचित कार्यवाही की है। तर्क में यह भी कहा कि वसीयतनामा जिसमें रामानन्द की उम 85 वर्ष और उक्त वसीयतनामा वर्ष 1986 का लिखा होना साथ ही उत्तरवादी द्वारा बनाया गया फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र वर्ष 2006 का मिलान किये जाने पर वर्ष 2006 में रामानन्द की उम्र लगभग 110 वर्ष होकर मृत्यु होना जो अस्वाभिक रूप से प्रथमदृष्टया ही प्रतीत होता है। इसी कारण अपर आयुक्त ने दोनों अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों को निरस्त करने में उचित कार्यवाही की है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य अभिलेखों का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक ने प्रश्नाधीन भूमि पर वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत करने में तहसीलदार द्वारा विधिवत इश्तहार प्रकाशन कर पटवारी प्रतिवोदन प्राप्त किया तथा वसीयत को साक्ष्यों से सिद्ध पाये जाने पर आदेश दिनांक 27—1—2007 के द्वारा आवेदक के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया। विधि की मंशा के अनुसार जहां वसीयत को साक्ष्यों से सिद्ध पाया गया

है हो वहां वसीयतनामा रजिस्टर्ड होना अनिवार्य नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने विस्तार से विवेचना कर अनावेदिका द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त कर आवेदक के पक्ष में हुये नामांतरण आदेश की पुष्टि की। विचारण न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों में कोई अवैधानिका प्रकट नहीं होती है। जहां तक अनावेदिका द्वारा स्वयं को रामानन्द की पुत्री होने का तर्क का प्रश्न है अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख में संलग्न सहायक बंदोबस्त अधिकारी सीधी के आदेश दिनांक 8–6–98 की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदिका चौरी को मेवा की पुत्री होना प्रमाणित पाया है तथा रामानन्द को लावल्द होना माना है। स्पष्ट है कि अनावेदिका जो कि स्व0 रामानन्द की पुत्री होने के आधार पर वारिसाना हक में वादोक्त भूमि का नामांतरण चाहती है वह उसे सिद्ध करने में असमर्थ रही। साक्ष्यों द्वारा भी स्व0 रामानन्द को लाऔलाद होना बताया है। इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदिका की अपील को अस्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक के पक्ष में नामांतण की पुष्टि की है। इसके अतिरिक्त जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त ने बिना अभिलेखों का परिसीलन किये एवं साक्ष्यों के कथनों को अनदेखा कर अनावेदिका को स्व0 रामानन्द की वारिस पुत्री मानकर नामांतरण करने के आदेश देने में अवैधानिकता की गई है। अतः अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश का आदेश दिनांक 07–1–2015 निरस्त किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी चितरंगी का आदेश दिनांक 26–4–2013 एवं तहसीलदार चितरंगी का आदेश दिनांक 27–1–07 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर